

क्रमांक:- २५८१

दिनांक:- ०९-०५-२०२१

प्रेषक: जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

प्रेषित: श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल,  
राजस्थान उच्च न्यायालय,  
जोधपुर।

विषय: श्री सत्यपाल वर्मा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या ०१,  
जोधपुर महानगर, जोधपुर का दिनांक १०.०५.२०२१ से १३.०५.२०२१ तक  
कुल ०४ दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि श्री सत्यपाल वर्मा, अपर  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या ०१, जोधपुर महानगर, जोधपुर ने अपने पत्र  
संख्या- ४४ दिनांक- ०८.०४.२०२१ द्वारा दिनांक १०.०५.२०२१ से १३.०५.२०२१ तक कुल  
०४ दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है,  
जो मूल ही श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

श्री चौहान की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक एवं  
दैनिक कार्य अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या ०३, जोधपुर महानगर,  
जोधपुर द्वारा किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

सादर।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार

भव दी य,

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जोधपुर महानगर, जोधपुर।  
९.५.२१

क्रमांक : ५५

दिनांक : ८.५.२०२१

प्रेषक : **सत्यपाल वर्मा,**  
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
संख्या १, जोधपुर महानगर।

प्रेषिति : श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय,  
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,  
जोधपुर।

**मार्फत्** : श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर  
महानगर।


**विषय** : उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने व मुख्यालय परित्याग  
की अनुमति प्रदान के सम्बन्ध में ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि मुझे अपनी पुत्री को परीक्षा दिलाने हेतु हनुमानगढ़ जाना है। अतः मुझे दिनांक १०-५-२०२१ से १३-५-२०२१ तक कुल चार दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने तथा दिनांक ८-५-२०२१ व ९-५-२०२१ के द्वितीय शनिवार एवं रविवारीय अवकाश एवं दिनांक १४-५-२०२१ के ईदुलफीतर अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित दिनांक ७-५-२०२१ को कार्यालय समय पश्चात् से दिनांक १५-५-२०२१ को कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। उक्त चार दिवस के उपार्जित अवकाश हेतु निर्धारित प्रारूप में पृथक से प्रार्थना पत्र, इस पत्र के साथ दो प्रतियों में श्रीमान्जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

**आदर सहित**

भ व दी य,

  
(सत्यपाल वर्मा)

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
संख्या १, जोधपुर महानगर।  
संख्या-१, जोधपुर महानगर

संलग्न : उपरोक्तानुसार



GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FORM OF APPLICATION FOR LEAVE UNDER  
THE RAJASTHAN SERVICE RULES

1. Name of applicant and father's name : Staypal Varma S/o. Sh. Brajlal ji
2. Post held : Addl. District & Sessions Judge  
No. 1, Jodhpur Metropolitan.
3. Department, Office and Section : Addl. District & Sessions Judge  
No. 1, Jodhpur Metropolitan.
4. Pay : 56470 /- Per Month
5. House rent allowance, Conveyance allowance or Other  
compensatory allowance drawn on the present post : As per rules
6. Nature and period of leave applied for and  
date from which required : 10-5-2021 to 13-5-2021  
total 4 days Privilege Leave  
(उपार्जित अवकाश)
7. Sundays and holidays of any, proposed  
to be prefixed/suffixed to leave : Prefixed 8-5-2021, 9-5-2021  
S.Saturday, Sunday  
& Suffixed 14-5-2021  
Idul Fitar
8. Ground on which leave is applied for : पुत्री को हनुमानगढ़ परीक्षा दिलाने जाने हेतु
9. Date of return from last leave and nature  
period of that leave :As per record

- 10.(a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during privilege leave, commuted leave and that admissible during half-pay leave which would not have been admissible, had the provision of proviso below clause (iii) of sub-rule (c) of rule (2) of Rajasthan Service Rule not been applied in the event of my retirement from service at the end of during the currency of the leave.
- (b) I undertake to refund me leave salary drawn during "leave not due" which would not leave been admissible had rule 93 (d) of the Rajasthan Service Rules not been applied in the event of my voluntary retirement from service at the end or during the current of the leave.

11. Leave address :  
हनुमानगढ़ ।  
मोबाईल नं. 9414501110

12. Remarks and/or recommendation of the  
Commanding Officer

**Recommended**

**District & Sessions Judge  
Jodhpur Metro**

Signature of applicant with date

**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश**  
Addl. District & Sessions Judge,  
No. 1, Jodhpur Metropolitan.

13. Certified that .....  
.....from .....  
nature of leave period  
to ..... is admissible under rule of the .....rule.

Signature (With date)  
Designation

Order Of the sanctioning authority